पत्र सं०–6 एस०एस०(6)32/2022– 847 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,(ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–17/02/2026.

विषय– **राज्य योजना के मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में कुल रुपये 1444.88640 लाख़ रुपये (चौदह करोड़ चौवालिस लाख अट्ठासी हजार छः सौ चालीस रुपये) मात्र की लागत पर ऑउटसोर्सिंग से सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से जल निकायों का सर्वेक्षण और सर्वेक्षण किए गए जल निकायों से मछली उत्पादन और उत्पादकता का आंकलन तथा सर्वेक्षण का अद्यतन तकनीक एवं सॉफ्टवेयर विकसित कर बिहार के जलस्त्रोतों का सर्वेक्षण कार्य एवं केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) के Catch Assessment Survey (CAS) Software के माध्यम से अथवा सॉफ्टवेयर विकसित कर, राज्य के मत्स्य उत्पादन का डाटा संग्रहण, आकलन तथा विश्लेषण आदि हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में रुपये 689.00 लाख मात्र राशि की व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने विभागीय राज्यादेश संख्या–1768, दिनांक–03.05.2023 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजना के मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में कुल रुपये 1444.88640 लाख़ रुपये (चौदह करोड़ चौवालिस लाख अट्ठासी हजार छः सौ चालीस रुपये) मात्र की लागत पर ऑउटसोर्सिंग से सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से जल निकायों का सर्वेक्षण और सर्वेक्षण किए गए जल निकायों से मछली उत्पादन और उत्पादकता का आंकलन तथा सर्वेक्षण का अद्यतन तकनीक एवं सॉफ्टवेयर विकसित कर बिहार के जलस्त्रोतों का सर्वेक्षण कार्य एवं केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) के Catch Assessment Survey (CAS) Software के माध्यम से अथवा सॉफ्टवेयर विकसित कर, राज्य के मत्स्य उत्पादन का डाटा संग्रहण, आकलन तथा विश्लेषण आदि हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 में रुपये 689.00 लाख मात्र राशि की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में संलग्न।

2. बिहार राज्य में लगभग 10.8 लाख हे० मत्स्य जलस्रोत उपलब्ध है, जिनमें नदी, नाला, तालाब, आहर–पाइन, जलाशय, नहर, चेक डैम, गड्ढा आदि जलस्रोत शामिल हैं। इन उपलब्ध जलस्रोतों में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता की अभिवृद्धि की अपार संभावनाएँ हैं। परंतु इन जलस्रोतों की वर्तमान स्थिति, आकार, अवस्थिति, तथा मत्स्य उत्पादन क्षमता का सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप राज्य में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता का आँकड़ा मुख्यतः उपलब्ध अनुमानित जल संसाधनों, स्थानीय मछली बाजारों में मछलियों की आवक, आयात–निर्यात, मत्स्य प्रभाग के क्षेत्रीय प्रभारियों आदि के माध्यम से प्राप्त आँकड़ा आदि को संग्रहित कर आकलित किया जाता हैं, जो न तो वैज्ञानिक हैं और न ही यथार्थपरक। साथ ही अधिकांश जलस्रोत एवं **Landing Centres** ग्रामीण इलाका के दूर–दराज क्षेत्र में अवस्थित है जिसके फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन की सही आँकड़ा प्राप्त करने में कठिनाई है। इस प्रकार की विधि से प्राप्त आंकड़े अक्सर वास्तविक उत्पादन और उत्पादकता की सटीक जानकारी नहीं दे पाती है। अतः संसाधन– आधारित मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता का वैज्ञानिक रूप से आकलन करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित की जा रही है, ताकि विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर प्रभावी नीतियां और कार्यक्रम तैयार किया जा सके। साथ ही जलस्रोतों की सटीक अवस्थिति, वर्तमान स्थिति एवं संख्या की जानकारी प्राप्त कर ''वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीक'' के माध्यम से उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल मत्स्य उत्पादन का वास्तविक आँकड़ा उपलब्ध होगा, बल्कि उत्पादन बढ़ाने हेतु ''रणनीतिक योजनाएं एवं नीति निर्धारण'' भी प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।

3. वर्ष 2008 में जलकरों का भौतिक सर्वेक्षण किया गया था, परंतु उसकी ''सटीकता का अभाव रहा'' तथा आँकड़ों की ''पुनरावृत्ति की संभावना'' भी पाई गई। इसी प्रकार वर्ष 2018 में BIRSAC के माध्यम से Satellite Survey किया गया जिसमें ''7 × ''7' के क्षेत्र'' को भी जलस्रोत मान लिया गया, जिससे आँकड़ों की ''प्रमाणिकता प्रभावित'' हुई। उक्त सर्वे का **Ground Truthing** कतिपय कारण से संभव नहीं हो सका, जिसके कारण राज्य के जलस्रोतों का सटीक आंकड़ा एवं अवस्थिति उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (**CIFRI**) के **Catch Assessment Survey (CAS) Software** के माध्यम से राज्य के मत्स्य उत्पादन का डाटा संग्रहण एवं आकलन हेतु सर्वेक्षण, प्रविष्टि, आकलन, विश्लेषण आदि नहीं हो पाया।

4. वर्तमान में राज्य में मत्स्य उत्पादन का आंकड़ा **Secondary Information** पर आधारित है। वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में जलकरों का भौतिक सर्वेक्षण एवं मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकता का सर्वेक्षण हेतु योजनाएँ स्वीकृत हुईं, किंतु योजना का क्रियान्वित नहीं हो सका। उक्त योजना में जलस्रोतों का सर्वेक्षण मैनुअली किये जाने का प्रावधान था, जिसमें आंकड़ों की Discrepancy की संभावना बनी रहती। भारत सरकार द्वारा विभिन्न बैठको में जल स्त्रोतों सर्वेक्षण एवं मत्स्य उत्पादन का आंकलन में अद्यतन बैज्ञानिक विधि के प्रयोग का सुझाव दिया गया है।

5. राज्य सरकार के सात निश्चय–2 (2020–2025) के निश्चय–4 (स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव) के बिन्दू पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास के अन्तर्गत निर्दिष्ट ''आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा'' संकल्प के तहत राज्य योजना के मत्स्य निदेशालय के पुनर्गठन योजनान्तर्गत ऑउटसोर्सिंग से सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से जल निकायों का सर्वेक्षण और सर्वेक्षण किए गए जल निकायों से मछली उत्पादन और उत्पादकता का आंकलन तथा सर्वेक्षण का अद्यतन तकनीक एवं सॉफ्टवेयर विकसित कर बिहार के जलस्त्रोतों का सर्वेक्षण कार्य एवं केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) के Catch Assessment Survey (CAS) Software के माध्यम से अथवा सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के मत्स्य उत्पादन का डाटा संग्रहण, आकलन, विश्लेषण आदि हेतु योजना की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

6. योजना का उद्देश्य एवं इससे होने वाले लाभ :–

(i). इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी प्रकार के जलस्रोतों यथा–तालाबों, जलकरों, आर्द्रभूमि, मन, जलाशय, नदियों आदि जलस्रोतों का सेटेलाईट सर्वे एवं मैपिंग, Ground Truthing कर, जलस्त्रोत का क्षेत्रफल, आकारिकी/आकृति, अवस्थिति (अक्षांश–देशांतर), फोटो, विडियो (5 सेकेंड), गूगल अर्थ अथवा अन्य उन्नत पद्धति (HIT MAPS) प्रदर्शित करते हुए, डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा सकेगा।

(ii). केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) के Catch Assessment Survey (CAS) Software/CIFRI के सहयोग से साफ्टवेयर विकसित (Software Develop) कर के राज्य के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता डाटा आदि का आंकलन किया जा सकेगा।

(iii). इससे भविष्य में इन जलस्रोतों के मछली उत्पादन एवं उत्पादकता की अभिवृद्धि हेतु योजनाओं का सूत्रण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन आदि कार्यों में सहायता होगी।

7. योजना क्रियान्वयन के मुख्य बिन्दु :–

(i). राज्य में विभिन्न प्रकार के मत्स्य संपदा उपलब्ध है जिसमें Capture/Culture आधारित मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इन जलकरों के मत्स्य उत्पादन की आँकड़ा मुख्यतः secondary data पर आधारित है। चूँकि अधिकांश जलस्रोत ग्रामीण इलाका के दूर–दराज क्षेत्र में अवस्थित है जिसके फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन की सही आँकड़ा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI), बैरकपुर, कोलकाता द्वारा विभिन्न जलस्रोतों के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता आकलित करने हेतु Catch Assessment Survey (CAS) Software अथवा यदि उपलब्ध न हो तो नए सॉफ्टवेर विकसित कर CIFRI, बैरकपुर, कोलकाता के तकनीकी निर्देशन में किया जाएगा जिसके माध्यम से राज्य के सभी जलस्रोतों का मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता का आँकड़ा वैज्ञानिक ढंग से आकलित किया जाएगा ताकि विश्वसनीय मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता का आँकड़ा प्राप्त हो सके।

जिसका सदुपयोग राज्य के मछली उत्पादन एवं उत्पादकता की अभिवृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं का सूत्रण, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन आदि के लिए किया जा सकेगा।

(ii). इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के जल निकायों का सर्वेक्षण करना है। कृषि–जलवायु क्षेत्र के अनुसार बिहार राज्य मुख्यतः तीन Agro-Climatic Zones में विभाजित है। इस योजना के तहत सर्वेक्षण कार्य का क्रियान्वयन तीन चरणों यथा–Zone-I, Zone-II एवं Zone-III में किया जायेगा जिसकी विवरणी अनुग्लग्नक–II के रूप में संलग्न है। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए वर्तमान में उपलब्ध उन्नत तकनीक यथा Geo-fencing द्वारा जलस्त्रोतों का क्षेत्रफल निकालना, GIS Mapping के माध्यम से वास्तविक स्थान चिन्हित करना, जलकरों की अवस्थिति Latitude and Longitude प्राप्त करना, जलकरों का भौतिक Photographs/ Video (5 second) Cloud पर संग्रहित रखना, सर्वेक्षण के कार्यों में उपर्युक्त तकनीकों के उपयोग हेतु उन्नत Software की Licensing प्राप्त कर तथा Monitoring हेतु उन्नत Software बनाना ताकि कम से कम समय में आँकड़ों का त्रुटिरहित संकलन, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन तैयार किया जा सकेगा।

(iii). सर्वेक्षण कार्य – योजनान्तर्गत राज्य के सभी जल निकायों का सर्वेक्षण किया जायगा, जिसमें संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की सहायता से मत्स्य प्रभाग से संबंधित जल निकायों की पहचान करना भी शामिल है। सर्वेक्षण के लिए विभागीय जल निकायों की जिलावार सूची मत्स्य निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राज्य एवं केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत निर्मित जल निकायों अर्थात् तालाबों का भी सर्वेक्षण किया जायगा। प्रत्येक जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जायगा जिनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायगा कि संबंधित जिले के सभी जल निकायों का सर्वेक्षण कर संपूर्ण डाटा अपलोड कर दिया गया है तथा सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी गयी है। अन्य विभागों के नियंत्रणाधीण जल निकायों की विवरणी भी प्राप्त की जायगी।

➢ सर्वेक्षण कार्य हेतु मुख्य बिंदु हैं :–

(i). चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य–योजना उपस्थापित कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

(ii). मत्स्य निदेशालय द्वारा पूर्व में सर्वेक्षित झीलों, नदियों, तालाबों, जलाशयों और आर्द्रभूमियों का मौजूदा आँकड़ा उपलब्ध कराया जा सकता है जिसे इस सर्वेक्षण में शामिल किया जायगा। जिला मत्स्य कार्यालय स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा जिनका दायित्व, जिला प्रशासन से वांछित सहायता हेतु समन्वय स्थापित करना तथा कार्य में अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराना होगा।

(iii). तदोपरांत, चयनित एजेंसी द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास/क्रय कर अधिष्ठापित करना। सर्वेक्षिण के दौरान जीवंत आकंडो का संग्रहण, संकलन, सर्वेक्षण कार्य का निगरानी, अनुश्रवण एवं निवारण तथा आंकडों के गुणवत्ता की जांच करना होगा। इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करने हेतु कार्यालय अथवा कक्ष मत्स्य निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv). एजेन्सी, केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) बैरकपुर, कोलकाता से सम्पर्क कर मत्स्य उत्पादन आंकलन तकनिक का सॉफ्टवेयर प्राप्त कर अथवा संस्थान के सहयोग से मत्स्य उत्पादन आंकलन का सॉफ्टवेयर तैयार/विकसित किया जाएगा।

(v). एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण कार्य करने हेतु निर्धारित समय सीमा में मत्स्य निदेशालय को एक विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा जिसके पश्चात ही सर्वेक्षण हेतु फार्म विकसित किया जाएगा। सर्वेक्षण हेतु विकसित प्रत्येक फॉर्म का अनुमोदन मत्स्य निदेशालय द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ही एजेंसी द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। सर्वेक्षण हेतु फार्म मत्स्य निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर विकसित किया जाएगा।

(vi). सर्वे हेतु डाटा संग्रहण फार्म का अनुमोदन मत्स्य निदेशालय द्वारा प्राप्त करने के पश्चात ही सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा सर्वेक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डाटा एकत्रित करने एवं जियो टैगिंग करने की पद्धति पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वेक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने के उपरांत, सर्व प्रथम किसी एक जिला में एक ''पायलट'' सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि किसी भी स्तर के त्रुटि का ज्ञात हो सकेगा तथा उक्त त्रुटि का ससमय आवश्यक सुधार किया जा सके। तदोपरांत बृहत स्तर पर Zonewise सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

(vii). मत्स्य निदेशालय/जिला मत्स्य कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण हेतु जल निकायों की विस्तृत जानकारी (खाता, खेसरा और रकवा) उपलब्ध करायी जायगी।

(viii). सर्वेक्षण के क्रम में, प्रत्येक जल निकाय का क्षेत्रफल, जलक्षेत्र, अक्षांश–देशांतर, जियो–टेगिंग, सेटेलाइट फोटो, short video आदि प्राप्त किया जायेगा एवं तस्वीरें लेने के साथ–साथ जियो–टैगिंग भी किया जायगा।

(ix). मत्स्य निदेशालय द्वारा परिभाषित सीमाओं और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के जीपीएस निर्देशांकों को सभी सर्वेक्षित जल निकायों के विरुद्ध दर्ज किया जाना आवश्यक है।

(x). सर्वेक्षणकर्ता, मत्स्य निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जल निकायों की सूची के अनुसार जल निकायों का सर्वेक्षण किया जाएगा।

(xi). सर्वेक्षण किए जा रहे जल निकायों के डेटा और जीपीएस विवरण एकत्र करने के लिए एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जायगा।

(xii). जल निकायों के हवाई मानचित्रण/टैगिंग के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग (यदि आवश्यक हो) किया जाएगा।

(xiii). जल निकायों के दुर्गम या विशाल क्षेत्रों के आंकलन हेतु ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

(xiv). सर्वेक्षण की रिपोर्टिंग :

- सर्वेक्षण का विस्तृत विवरणी हेतु व्यापक रिपोर्टिंग व्यवस्था, जिसमें सर्वेक्षण किए गए जल निकायों की जियो–टैग की गई तस्वीरें शामिल की जायेंगी।
- तालाबों के मापदंडों का विवरण–मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम 10 मीटर तक की सटीकता वाले से सर्वेक्षण किया जायगा एवं तालाब का वीडियो (कम से कम 5 सेकंड) भी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम उपलोड किया जायगा।
- आंकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट, मत्स्य निदेशालय द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

8. इंटीग्रेटेड कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर - इस कार्य के अंतर्गत सर्वेक्षण अनुश्रवण कोषांग का उद्देश्य सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हो रहे वास्तविक समय के आंकड़ों की निगरानी और प्रबंधन हेतु एक कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करना है। सर्वेक्षण अनुश्रवण कोषांग सर्वेक्षण के आंकड़ों को संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की देखरेख करेगी ताकि प्रगति की कुशल ट्रैकिंग, आंकड़ों की गुणवत्ता और कार्य के सफल निष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार समय पर हस्तक्षेप कर वांछित सुधर सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकलन के दौरान भी अनुश्रवण इंटीग्रेटेड कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर द्वारा ही किया जायगा।

➢ इंटीग्रेटेड कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर (आई०सी०सी०सी०) से सम्बंधित मुख्य बिन्दु :–

(i). सर्वेक्षण हेतु विकसित मोबाइल एप्लिकेशन, वेब प्लेटफार्म का एकीकरण कर सारी जानकारी यथा सर्वेक्षण का डाटा डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ii). सर्वेक्षणकर्ताओं से वास्तविक समय डेटा संग्रहण पद्धिति लागू करना, जिससे एकरूपता और सटीकता सुनिश्चित हो सकेगा।

(iii). इंटीग्रेटेड कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर (आई०सी०सी०सी०) के सुगम संचालन हेतु कुछ उपकरण (हार्डवेयर) यथा – डेस्कटॉप, यूपीएस,

एंटीवायरस और वीडियो वॉल इत्यादि कि आवश्यकता होगी जो इस योजनान्तर्गत लिया जायगा।

(iv). केंद्रीकृत डेटाबेस या क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कि सुविधा से फील्ड डेटा का सुचारू एकीकरण किया जायगा।

(v). सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ों को समेकित करने के लिए केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर विकसित किया जायगा।

(vi). सर्वेक्षण पूर्ण होने और सर्वेक्षण के आंकड़ों के वास्तविक समय मूल्यांकन के लिए उन्नत विश्लेषण उपकरण विकसित किया जायगा।

(vii). सर्वेक्षण के दौरान तकनीकी समस्या निवारण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए (आई०सी०सी०सी०) कर्मियों को प्रशिक्षित किया जायगा।

(viii). सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के लिए आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहायता लिया जायगा।

अनुश्रवण कोषांग द्वारा संपूर्ण सर्वेक्षण के दौरान मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के आकलन और वास्तविक समय की रिपोर्टिंग की अनुश्रवण किया जायगा, जिससे होने वाले कार्यों में चुनौतियों, यदि कोई हों, के ससमय निवारण करने में मदद मिलेगी। मत्स्य निदेशालय द्वारा अनुश्रवण कोषांग के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न कार्यान्वित राज्य एवं केंद्रीय योजनाओं की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है।

9. मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता के आकलन हेतु सॉफ्टवेयर –

इस योजनान्तर्गत सर्वेक्षण कार्य एवं केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI), बैरकपुर, पश्चिम बंगाल द्वारा उल्लिखित तकनीक के आधार पर मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता का आकलन करने हेतु सॉफ्टवेयर अद्यतन किया जायगा (यदि उपलब्ध हो तो) अथवा विकसित किया जायगा।

10. योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु मानवबल की आवश्यकता –

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित मानवबल की आवश्यकता होगी –

(i). सर्वेक्षण कार्य हेतु–सर्वेक्षण कार्य सर्वेक्षणकर्ताओं के माध्यम से किया जायगा। सर्वेक्षण शुरू करने से पहले सर्वेक्षणकर्ताओं को सर्वेक्षण के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

(ii). संपूर्ण कार्य अवधि (24 माह) हेतु अनुश्रवण कोषांग एवं इंटीग्रेटेड कमांड एवं कण्ट्रोल सेंटर (आई०सी०सी०सी०) सॉफ्टवेयर विकसित एवं संशोधित करने हेतु मुख्यालय स्तर पर –

Sl. No.	Designation	Qualification and Experience	Responsibilities
a)	Project Manager (1 No.)	MBA/MCA/B.E/B.Tech /Masters in any discipline from a recognized university	• Responsible for overall planning, execution and delivery of project within defined timeline. • He/She shall be responsible for

Sl. No.	Designation	Qualification and Experience	Responsibilities
		with more than 05 years' post qualification experience. Desirable - Experience in Govt. Organisation/PSU will be preferred.	coordination with DoF officials at HQ and district level to get the project implemented. • Monitor project progress and ensure milestones are achieved as per timeline.
b)	Software Engineer (02)	Full Time B. Tech/ B.E./MCA from a reputed institute with at least 3 years' experience.	• Design, develop, test and maintain CAS software as per defined by DoF. • Document technical specifications, workflows and user manuals of the software. • Provide software related technical support to surveyors/users and resolve application-related issues.
c)	Android Developer (01)	B.E/ B.Tech /MCA/M.Sc. (IT) from a recognized university with more than 02 years' post qualification experience.	• Design, develop and maintain Android application for survey. • Document technical specifications, workflows and user manuals of the mobile application. • Provide technical support to surveyors/users and resolve application-related issues in mobile applications.
d)	Statistics Professional (01)	Master's in Fisheries Statistics or Bachelor's degree in mathematics, statistics or related field, Strong math and analytical skills. The Professional shall have good computer skills and ability to use necessary databases and software/assessment software.	• Provide statistical expertise in data collection, analysis and interpretation from fisheries perspective. • Support in project implementation through accurate statistical modeling. • Ensure data integrity, quality assurance and compliance with organizational and regulatory standards. • Develop and maintain statistical databases and tools for effective decision-making. • Collaborate with CIFRI scientists/DoF officials for technical insights.
e)	Fisheries Expert (02 Nos)	MFSc/BFSc from a recognized university with atleast 02 years' experience.	• Provide technical expertise in fisheries resource management, aquaculture and allied activities related to successful completion of the survey. • Provide training to surveyors for survey from fisheries perspective. • Support research and project implementation through domain knowledge in fisheries.
f)	Technical Support Executive (05 Nos)	MBA/ MCA/ B.E/ B.Tech /BCA/ from a recognized university with more than 02 years' experience. Candidates having experience in government project maybe preferred.	• Responsible for data collection and survey monitoring using ICCC tools and handling all the operational issues in the DoF head quarter. • Coordinate with surveyors and provide insights or inform for any visible deviations during the survey.
g)	MIS Assistant	Graduate preferably BCA/ B.Tech/ MCA/	• Assist in data collection, entry, validation and reporting of survey.

Sl. No.	Designation	Qualification and Experience	Responsibilities
	(01)	B.Sc IT with very good computer skill with atleast 01 year experience.	• Generate daily, weekly and monthly MIS reports as required. • Ensure timely generation of reports and dashboards and submit report to DoF.
h)	Multitasking Staff (01)	Must have passed matriculation or equivalent examination.	• Support staff in day-to-day office activities.

11. इस योजनान्तर्गत राज्य के जल निकायों के सर्वेक्षण तथा Catch Assessment Survey (CAS) Software के माध्यम से अथवा सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के जलस्रातों का डॉटा संग्रहण एवं मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता आदि का आंकलन करने हेतु सर्वेक्षण, प्रविष्टि, विश्लेषण आदि के लिए सेवा प्रदाता संस्था की सेवा ऑउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

12. ऑउटसोर्सिंग हेतु सेवा प्रदाता संस्था का चयन एवं इकाई लागत का निर्धारण– मत्स्य निदेशालय के पत्रांक–म०/सां०फिश कैच० 3/2021 खंड 02–3573, दिनांक–06.09.2025 द्वारा ऑउटसोर्सिंग हेतु सेवा प्रदाता संस्था का चयन तथा इकाई लागत का निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आमंत्रित प्रस्ताव निवेदन (Request for Proposal) के क्रम दिनांक–06.10.2025 को सम्पन्न वित्तीय निविदा मूल्यांकन हेतु सम्पन्न बैठक में (मत्स्य निदेशालय के ज्ञापांक–3855 दिनांक–06.10.2025) में चयनित सेवा प्रदाता संस्था (L1) यथा Codebucket Solutions Private Limited, 497, Nehru Nagar, P.P Colony, Patlipurta, Patna, Bihar-800013 द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन–उप मत्स्य निदेशक (सांख्यिकी एवं विपणन), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के देख–रेख में किया जाएगा। चयनित (L1) सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कतिपय कारणवश यदि इस कार्यक्रम का कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कारण पृच्छा करते हुए उक्त सेवा प्रदाता संस्था को निर्गत कार्यादेश को रद्द किया जाएगा। तत्पश्चात् विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का मार्गदर्शन/दिशा–निदेश प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

13. इस योजना का क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में किया जायेगा।

14. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में क्रमशः रुपये 689.00 लाख एवं रुपये 755.88640 लाख अर्थात कुल रुपये 1444.88640 लाख रुपये (चौदह करोड़ चौवालिस लाख अट्ठासी हजार छः सौ चालीस रुपये) (जी०एस०टी० सहित) व्यय होने का अनुमान हैं जिसका विस्तृत संभावित वर्षवार व्यय विवरणी अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

15. इस योजनान्तर्गत क्रय/विकसित किये गये मशीन एवं उपस्कर, हार्डवेयर (फर्नीचर सहित) एवं सॉफ्टवेयर का पूर्ण स्वामित्व पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (मत्स्य), बिहार, पटना की होगी।

16. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश, मानवबल का दायित्व, सेवा प्रदाता संस्थान से प्राप्त प्रमाणक को जाँचोपरांत अवयववार राशि की भुगतान की प्रक्रिया अनुमोदित प्रस्ताव निवेदन (Request for Proposal) में निहित प्रावधान एवं शर्तो के आलोक में उप मत्स्य निदेशक (सांख्यिकी एवं विपणन), मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के दिशा–निदेश में तैयार की जाएगी तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदनोपरांत निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा।

17. इस योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, सभी आँकड़ों का संकलन, मूल्यांकन आदि हेतु उप मत्स्य निदेशक (सांख्यिकी एवं विपणन) मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की योजना का क्रियान्वयन की प्रगति से अपने वरीय पदाधिकारी को अवगत करायेंगे तथा इससे संबंधित प्रगति प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

18. योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अनुमति से दिशा निदेश/अनुदेश जारी किया जा सकेगा।

19. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना तथा निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

20. इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि को कोषागार से आहरित कर बी०एल० डी०ए० के पी०एल० खाता में अंतरित/संचित कर व्यय किया जायेगा।

21. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

22. इस योजना के तहत होने वाले व्यय हेतु स्वीकृत राशि का विकलन चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में माँग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001 –निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–0101 –मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन, विपत्र कोड 02–2405000010101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0101.28.02 –संविदा सेवाएँ मद में उपलब्ध बजटीय उपबंध/प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त बजटीय उपबंध राशि से किया जाएगा। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 में योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृत राशि की व्यय की स्वीकृति प्राप्त कर, योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

23. दिनांक–12.12.2025 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)32/2022 के पृष्ठ 64–63/प०.

24. यह स्कीम सात निश्चय–2 के तहत एक चालू राज्य स्कीम है। स्कीम का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)32/2022 के पृष्ठ–55/टि० एवं दिनांक–30.01.2026.

25. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)32/2022 के पृष्ठ–54/टि० तथा डायरी संख्या–654, दिनांक–15.12.2025.

26. वित्त विभाग के पत्र सं०–7355 दिनांक–05.10.2007 से संबंधित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)32/2022– 847 /पटना–15, दिनांक–17/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)32/2022– 847 /पटना–15, दिनांक–17/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)32/2022– 847 /पटना–15, दिनांक–17/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)32/2022– 847 /पटना–15, दिनांक–17/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा एवं योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)32/2022– 847 /पटना–15, दिनांक–17/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)32/2022– 847 /पटना–15, दिनांक–17/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)32/2022– 847 /पटना–15, दिनांक–17/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में जल निकायों का सर्वेक्षण और सर्वेक्षण किए गए जल निकायों से मछली उत्पादन और उत्पादकता का आंकलन एवं सर्वेक्षण का अद्यतन तकनीक एवं सॉफ्टवेयर विकसित कर बिहार के जलस्त्रोतों का सर्वेक्षण कार्य एवं केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) के Catch Assessment Survey (CAS) Software के माध्यम से अथवा सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के मत्स्य उत्पादन का डाटा संग्रहण एवं आकलन तथा विश्लेषण आदि हेतु योजना पर सम्भावित व्यय की विवरणी।

क्र०	योजना	उप शीर्ष	विषय शीर्ष	संभावित व्यय की राशि (लाख में)		निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
				2025–26 एवं 2026–27	2025–26		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जल निकायों का सर्वेक्षण और सर्वेक्षण किए गए जल निकायों से मछली उत्पादन और उत्पादकता का आंकलन एवं सर्वेक्षण का अद्यतन तकनीक एवं सॉफ्टवेयर विकसित कर बिहार के जलस्त्रोतों का सर्वेक्षण कार्य एवं केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (CIFRI) के Catch Assessment Survey (CAS) Software के माध्यम से अथवा सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के मत्स्य उत्पादन का डाटा संग्रहण एवं आकलन तथा विश्लेषण आदि हेतु योजना	मत्स्य निदेशालय का पुर्नगठन	0101.28.02 –संविदा सेवायें	1444.88640	689.00	निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना	कोषागार, विकास भवन, पटना
			योग–	**1444.88640**	**689.00**		

कुल (छः करोड़ नवासी लाख रुपये) मात्र।

847
17/02

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक - II

Agro-climatic Zone of Bihar					
Sl. No	**Name of State**	**Name of Range**	**Name of District**	**Classification in Agro-climatic Zone**	**Phase in Survey**
1	Bihar	Darbhanga	Darbhanga	Zone-I	Phase – I
2	Bihar		Madhubani	Zone-I	Phase – I
3	Bihar		Samastipur	Zone-I	Phase – I
4	Bihar	Muzaffarpur	Muzaffarpur	Zone-I	Phase – I
5	Bihar		East Champaran	Zone-I	Phase – I
6	Bihar		Sitamarhi	Zone-I	Phase – I
7	Bihar		Sheohar	Zone-I	Phase – I
8	Bihar		Vaishali	Zone-I	Phase – I
9	Bihar		West Champaran	Zone-I	Phase – I
10	Bihar	Saran	Siwan	Zone-I	Phase – I
11	Bihar		Saran	Zone-I	Phase – I
12	Bihar		Gopalganj	Zone-I	Phase – I
13	Bihar	Munger	Begusarai	Zone-I	Phase – I
14	Bihar	Purnea	Araria	Zone-II	Phase - II
15	Bihar		Kishanganj	Zone-II	Phase - II
16	Bihar		Katihar	Zone-II	Phase - II
17	Bihar		Purnea	Zone-II	Phase - II
18	Bihar	Kosi	Madhepura	Zone-II	Phase - II
19	Bihar		Supaul	Zone-II	Phase - II
20	Bihar		Saharsha	Zone-II	Phase - II
21	Bihar	Munger	Khagaria	Zone-II	Phase - II
22	Bihar	Bhagalpur	Banka	Zone-III A	Phase - III
23	Bihar		Bhagalpur	Zone-III A	Phase - III
24	Bihar	Munger	Lakhisarai	Zone-III A	Phase - III
25	Bihar		Sheikhpura	Zone-III A	Phase - III
26	Bihar		Munger	Zone-III A	Phase - III
27	Bihar		Jamui	Zone-III A	Phase - III
28	Bihar	Patna	Buxar	Zone-III B	Phase - III
29	Bihar		Bhojpur	Zone-III B	Phase - III
30	Bihar		Kaimur	Zone-III B	Phase - III
31	Bihar		Nalanda	Zone-III B	Phase - III
32	Bihar		Patna	Zone-III B	Phase - III
33	Bihar		Rohtas	Zone-III B	Phase - III
34	Bihar	Magadh	Gaya	Zone-III B	Phase - III
35	Bihar		Nawada	Zone-III B	Phase - III
36	Bihar		Jehanabad	Zone-III B	Phase - III
37	Bihar		Arwal	Zone-III B	Phase - III
38	Bihar		Aurangabad	Zone-III B	Phase - III

847
17/02/26

16/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव